भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 827

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना

827. श्रीमती रुचि वीरा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सहित देश में पूर्णरूपेण कार्यरत एम्स अस्पतालों की राज्य/जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एम्स की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसी भी अस्पताल से एम्स दिल्ली/अन्य सभी सरकारी अस्पतालों में रेफर/सीधे भर्ती किए जाने के बाद भी गंभीर रोगियों की आईसीयू बिस्तरों की अनुपलब्धता के कारण मृत्यु हो जाती है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा आईसीयू बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत अनुमोदित 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में से उत्तर प्रदेश में एम्स, रायबरेली और एम्स, गोरखपुर सहित 17 एम्स में शिक्षण, अनुसंधान और आईपीडी ओपीडी सेवांए संचालित हैं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एम्स की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(घ) से (च) एम्स, नई दिल्ली सीधे इस संस्थान में आने वाले मामलों के साथ-साथ सभी रेफरल रोगियों को देखा जाता है। इस संस्थान में 381 आईसीयु बिस्तर उपल्बध है। आपात/आपातकालिक जीवन रक्षण परिस्थितियों में गंभीर रूप से रुग्ण रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए यथासंभव सभी प्रयास किए जाते हैं। एम्स, नई दिल्ली में रोगियों की प्रतिक्षा अवधि को कम करने के लिए नए स्पेशिलिटी सेंटर और ब्लॉक जैसे राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, सर्जिकल ब्लॉक, मातृ और शिशु ब्लॉक, बर्न और प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक और जरा चिकित्सा केन्द्र के निर्माण द्वारा सुविधाओं को विस्तारित किया गया है।

इस संस्थान में अतिरिक्त सुविधा केन्द्रों को आवश्यकता और मामला दर मामला आधार न्यायोचित आधार पर मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

******